को पेश हो

26/7/18

आज P.O सा. कोर्ट तैयारी में व्यस्त होने से जनरल तौ. दी गई गत आदेशों की पालना में दिनांक को पेश हो 5/7/18

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

28/5/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प मेंहदवाड़ में प्रस्तुत हुई। फरीकैन मौजूद आए।

पत्रावली एवं जमाबंदी का उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मूल वाद न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। जिसमें प्रार्थी द्वारा रिकार्ड कूटरचित होना बताया गया है। जिसका कोई रिकार्ड मूल न्यायालय में उपलब्ध नहीं होने से मूल वाद पत्रावली को तलब किया जाना न्यायसंगत नहीं है तथा प्रार्थी ने अपने वाद-पत्रावली प्रार्थना-पत्र के साथ खारिज

खारिज
सहायक कलेक्टर

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दोनों ही आवेदकगण की भूमि पर अपने बरामदगी पर्चा [illegible] के पक्ष में नहीं की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भूमि बरामदगी किस कारण से खारिज हुई है। अतः पर्चा बरामदगी प्रस्तुत करने वाली पर्चा [illegible] बिन्दु पेश करने के कारण खारिज किया जाता है। प्रकरण के समस्त दस्तावेज [illegible] के कार्यालय बाद तकमील प्रतिवेदन लोक अदालत के निर्णय संज्ञान लोक अदालत के समक्ष कई नोटिस जारी के माध्यम से लिखवाया जाकर प्रेषित किया।	

सहायक कलेक्टर
दौसा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दौसा जिला दौसा